

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0 179/2021-22

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचौंची के पत्रांक— 84, दिनांक — 09.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक मोहन महतो, पिता— स्व0 बाबुलाल महतो, साकिम— मानपुर, पो0— सिंगदाहा, थाना— तोपचौंची, जिला— धनबाद अपनी जमीन मौजा— मानपुर, मौजा नं0— 144, खाता नं0— 38, प्लॉट सं0— 613, रकबा— 52 डिसमील भूमि क्रेता प्रभु दयाल महतो, पिता— स्व लक्ष्मी नारायण महतो, साकिम— मानपुर, पो0— सिंगदाहा, थाना— तोपचौंची, जिला— धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा दोनों एक ही थाना— तोपचौंची, जिला— धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 2.55 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।